स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 296, दिनांक 05–10–2024

आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य कूटरचित प्रपत्र तैयार कर कूटरचित एनओसी आर0टी0ओ0 कार्यालय में लगाकर एच0पी0 (हाईपर परचेज) कटवा कर अन्य प्रदेशों में चार पहिया/दो पहिया वाहनों का ट्रान्सफर कराकर ठगी करने वाले गैंग का एक सक्रिय सदस्य थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुदनगर से गिरफ्तार।

दिनॉकः 04–10–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को बडे पैमाने पर अन्तर्राज्यीय स्तर पर कूटरचित प्रपत्र तैयार कर फाइनेंस वाले चार पहिया/दो पहिया वाहनों को बेचकर ठगी करने वाले गैंग के एक सक्रिय सदस्य को गौतमबुद्धनगर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा कूटरचित दस्तावेज बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1–वीरेन्द्र कुमार पुत्र दौलतराम निवासी एक्स 1704 गली नम्बर 16 राजगढ़ कालोनी गॉधीनगर थाना कृष्णानगर शाहदरा, दिल्ली।

बरामदगी :–

1–01 अदद कार किया कार्निवाल नम्बर डीएल 05सीटी 4421
2–01 अदद कार टोयटा ग्लांजा नम्बर डीएल 03 सीसीएफ 7750
3–05 अदद आधार कार्ड कूटरचित
4–03 अदद पेन कार्ड कूटरचित
5–01 अदद पासबुक बैक ऑफ महाराष्ट्र
6–02 अदद रजिस्ट्रेशन कार्ड
7–01 अदद निर्वाचन कार्ड
8–01 अदद क्रेडिट कार्ड बैक ऑफ महाराष्ट्र
9–02 अदद क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक
10–01 अदद अस्थाई रजिस्ट्रेशन छायाप्रति।
11–01 अदद इनवाइस छायाप्रति।
12–एक अदद बीमा की छायाप्रति।
13–एक अदद फास्टैंग की छायाप्रति।
14–एक अदद ऐसेसरीज की छायाप्रति।
15–05 अदद मोबाइल फोन।
16–200/–रूपये नकद।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

गौर सिटी सेन्टर के सामने सर्विस रोड थाना क्षेत्र बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्वनगर समय–23.55 दिनांक–04–10–2024।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को काफी दिनों से एनसीआर क्षेत्र में कूटरचित तरीके से फाईनेंस/लोन वाली गाड़ियों के फर्जी एनओसी बनवाकर एच0पी0(हाईपर परचेज) कटवाकर अन्य प्रदेशों में गाड़ी बेचकर ठगी करने वाले गैंग की सूचना मिल रही थी इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, उक्त निर्देश के क्रम में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 04–10–2024 को एस0टी0एफ0 आगरा की टीम कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से भ्रमणशील थी, इसी दौरान ज्ञात हुआ कि कूटरचित तरीके से एनओसी तैयार कराकर एच0पी0 कटवाकर ठगी करने वाले उक्त गैंग के सक्रिय सदस्य गौर सिटी सेन्टर के सामने सर्विस रोड पर दो चार पहिया गाडियों में बैठे है, जो किसी का इन्तजार कर कर रहे है, इस सूचना पर निरीक्षक श्री हुकुम सिंह व हे0का0 दिनेश गौतम, हे0का0 अरविन्द्र सिंह, हे0का0 प्रशान्त कुमार, हे0का0 विवेक कुमार सिंह एसटीएफ फील्ड इकाई आगरा की टीम द्वारा आवश्यक घेराबन्दी कर उपरोक्त गैग के 01 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग जिन गाड़ियों पर बैंक द्वारा लोन चल रहा होता है जिसकी किस्त जमा नही होती है, उन गाड़ियों को कम पैसे में लेकर दलाल के माध्यम से फर्जी एनओसी बनवाकर आर0टी0ओ कार्यालय में जमाकर एच0पी0 कटवा देते है, जिससे उक्त गाड़ी दूसरे प्रदेश में ट्रान्सफर हो जाती है वहॉ उक्त गाड़ी का नया नम्बर मिल जाता है, बैंक वाले लोन वाली गाड़ी को नही खोज पाते है, हम लोग कुछ गाड़ी फर्जी नाम पता से आई0डी0 बनवाकर ऐजेन्सी से नई गाड़ी भी खरीदकर उनकी एच0पी0 कटवाकर दूसरे प्रदेशों में भेज देते है नाम पता गलत होने के कारण बैंक वाले खोज नही पाते है।

किया कार्निवाल (बरामद) प्रेमानन्द जैन के नाम है, प्रेमानन्द के नाम से अपना फोटो लगाकर आधार कार्ड पैन कार्ड तैयार कराकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र सेक्टर 122 गौतमबुद्वनगर में अपना एकाउण्ट खुलवा लिये थे। उक्त गाड़ी की एच0पी0 भी कटवा लिए थे। 17 लाख का लोन उपरोक्त बैंक एकाउण्ट में आना था। लोन का पैसा आने के बाद इस गाड़ी को यह लोग किसी दूसरे राज्य मे बेच देते।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्वनगर में मु0अ0सं0 739/2024 धारा 318 (4)/338/336(3)/340(2)61 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।